भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 609
25 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

नागरिक सुविधाओं के लिए निधियां

609. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान पूरे देश में स्लम बस्तियों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने और स्लम बस्तियों के विकास के लिए धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का शहरी क्षेत्रों में स्लम बस्तियों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराने और सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली अपनाकर उसकी पहचान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। नागरिक सुविधाएं प्रदान करने सहित स्लम बस्तियों के विकास से संबंधित योजनाएं राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों **(यूटी)** द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, केंद्र सरकार विभिन्न मिशनों जैसे कि प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी **(पीएमएवाई-यू)**, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन **(अमृत 2.0)**, स्वच्छ भारत मिशन - शहरी **(एसबीएम-यू 2.0)** के माध्यम से स्लम बस्तियों सहित शहरी क्षेत्रों में आवास और नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रही है।

पीएमएवाई-यू के तहत, स्लम बस्ती के निवासियों सहित शहरी क्षेत्रों के सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों के लिए आवासों के निर्माण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता

प्रदान की जाती है। 15.07.2024 तक, पीएमएवाई-यू के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर कुल 118.63 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 114.33 लाख घरों की नींव रखी जा चुकी है एवं 85.04 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। योजना के तहत 2023-24 के दौरान कुल 19,726.91 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

एसबीएम-यू के तहत, स्लम बस्तियों सहित शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) घटक के साथ-साथ सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय (सीटी/पीटी) और व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जरूरत के आधार पर धनराशि जारी की जाती है। एसबीएम-यू के तहत कुल 10,617.31 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

अमृत योजना के अंतर्गत, संपूर्ण मिशन अवधि के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजनाओं हेतु 35,990 करोड़ रु. की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता सहित 77,640 करोड़ रु. की राशि की राज्य वार्षिक कार्य योजनाएँ (एसएएपी) स्वीकृत की गई हैं। अब तक, जल आपूर्ति, सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित क्षेत्रों एवं पार्कों तथा गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के लिए अमृत परियोजनाओं हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 34,619 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता जारी की जांच की गई है। योजना के अंतर्गत 2023-24 के दौरान कुल 2,593.96 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

इसके अतिरिक्त, मिशन अवधि के दौरान शहरों को कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाने के लिए अमृत 2.0 और एसबीएम 2.0 शुरू किए गए हैं। अमृत 2.0 के तहत, अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत 1,82,569.26 करोड़ रु. (ओ एंड एम सहित) की लागत वाली 8,205 परियोजनाओं के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य जल कार्य योजनाओं (एसडब्ल्यूएपी) को मंजूरी दी गई है। अमृत 2.0 और एसबीएम 2.0 के तहत, 2023-24 के दौरान क्रमशः 2,883.92 करोड़ रूपये और 1,971.40 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ): भारत की जनगणना देश में दशकीय आधार पर स्लम बस्तियों सहित जनसंख्या की गणना करती है। पिछली जनगणना 2011 में की गई थी, जिसके अनुसार, देश भर में 1,08,227 स्लम बस्तियों में कुल 6.54 करोड़ लोग रह रहे थे । वर्तमान में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पास सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करके स्लम बस्तियों के क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

*****